अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉंची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 – 54 /2023

04
17.07.2023

राज्य

बनाम

मनोज राम चौबे, पिता–राम लखन चौबे निवासी– ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची ....विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 683/डी०सी०बी० दिनांक 18.06.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मनोज राम चौबे, पिता–राम लखन चौबे निवासी– ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जो निम्नांकित है:–

1. रातु थाना कांड सं0–108/21 दिनांक 13.04.2021, धारा–408/420/323/341/504/120बी० भा०द०वि०
2. रातु थाना कांड सं०– 168/2022 दिनांक–04.06.2022 धारा–406/420/467/468/341/120बी० भा०द०वि०
3. एस० टी०/एस० सी० थाना कांड सं0–44/2019 धारा–341/323/504/506/34 भा०द०वि० एवं 3 (i)(r) एस०सी०/एस० टी० एक्ट।
4. रातु थाना सन्हा सं0– 23/23, दि०– 22.05.2023
5. रातु थाना सन्हा सं0– 22/23, दि०– 23.05.2023
6. रातु थाना सन्हा सं0– 20/23, दि०– 16.05.2023

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

7. रातु थाना सन्हा सं0– 38/23, दि०– 17.05.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) द्वितीय, रॉची के कार्यालय का ज्ञापांक–657/23, दिनांक–10.06.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि विपक्षी मनोज राम चौबे, पिता–राम लखन चौबे निवासी– ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। वर्तमान समय में ये जेल से बाहर है। विपक्षी द्वारा स्वयं तथा अपने गुर्गे के माध्यम से रातु थानान्तर्गत आम जनता से जमीन संबंधी मामले के निष्पादन हेतु रंगदारी की मांग की जा रही है। रातु थाना के आमलोग विपक्षी के नाम से भयाक्रान्त है तथा आम जनता गुप्त रूप से रंगदारी की राशि देने के लिए विवश होते है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से बोलने की हिम्मत अथवा प्राथमिकी दर्ज कराने की हिम्मत नही कर पाते है। विपक्षी अपने आवासन को काफी गोपनीय तरीके से रखता है तथा अपने ठिकाने में स्थानीय परिवर्तन करता रहता है। उक्त कुख्यात अपराधकर्मी के कार्यो से लोक प्रशान्ति प्रभावित हो रही है तथा भविष्य में आम जन जीवन के भी प्रभावित होने की संभावना है। विपक्षी असमाजिक व्यक्ति है। रातु थाना क्षेत्र में उनके अवैध गतिविधियों के कारण आम जनता, विशेष कर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सम्पत्ति का भय, खतरा एवं हानि पहुँच रही है तथा भविष्य में लोक सम्पत्ति को हानि पहुँच सकती है। इनकी आपराधिक गतिविधि से आम जनता के बीच आतंक, भय एवं दहशत का माहौल व्याप्त है, जिस कारण से लोक शांति एवं विधि– व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1) (b)(1) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्त्तमान मे विपक्षी किसी अन्य काण्ड मे न्यायिक हिरासत मे है, इसलिए प्रस्तुत वाद की कार्रवाई झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत संधारणीय नही है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। वे एक शातीर अद्यतन असमाजिक तत्व है, जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित एवं लोक परिशांति भंग हुई थी, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुण रखने के निमित अपराधकर्मी मनोज राम चौबे, पिता– राम लखन चौबे निवासी– ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी मनोज राम चौबे, पिता–राम लखन चौबे निवासी–ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची को दिनांक 24.07.2023 से दिनांक 23.10.2023 तक की

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	4	
	अवधि के लिए रातु थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी रातु के समक्ष रू० 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 23.07.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 24.07.2023 से दिनांक 23.10.2023 तक प्रत्येक दिन धुर्वा थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी मनोज राम चौबे, पिता–राम लखन चौबे निवासी– ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्त्तमान मे विपक्षी किसी अन्य काण्ड मे न्यायिक हिरासत मे है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। यदि वास्तव मे विपक्षी वर्त्तमान मे न्यायिक हिरासत मे है, तो इस वाद मे पारित उपरोक्त आदेश प्रभावहीन मानते हुए इस वाद को संचिकास्त समझा जाए । इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मनोज राम चौबे,	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	पिता– राम लखन चौबे निवासी– ग्राम चौली, थाना रातु, जिला राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे। (लेखापित एवं संशोधित) जिला दण्डाधिकारी राँची जिला दण्डाधिकारी राँची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.28 08:29:50 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2c39:30b9:62dc:fc76